भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 75

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

एसएएससीआई योजना के तहत पंजाब को निधि का आवंटन

75. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएएससीआई) के तहत पंजाब राज्य को प्रदान की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या उक्त राशि ब्याज मुक्त है या शर्तों और उपबंधों के साथ प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार राज्यों से उक्त निधि के व्यय से संबंधित ब्यौरे वाला डेटा प्राप्त करती है और यदि हां, तो उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित निधि को खर्च किया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत पंजाब राज्य को दी गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा, पंजाब सरकार द्वारा निधियों का व्यय/उपयोग; तथा कार्य/परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**अनुमोदित राशि**	**जारी की गई राशि**	**परियोजनाओं की संख्या**	**पंजाब सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि***
1	2023-24	385.2	शून्य#	12	25
2	2024-25	2585.5	2269.3	155	2179
3	2025-26	4107.5	3891.1	571	4107.5
कुल		**7078.2**	**6160.4**	**738**	**6286.5**

*राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार।

एसएएससीआई 2022-23 की अनुपयुक्त शेष राशि वर्ष 2023-24 में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पुनःआवंटित की गई थी।

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के तहत उपलब्ध कराई गई राशि एक ब्याज मुक्त, 50 वर्षीय ऋण है। ऋण के नियम एवं शर्तें संबंधित वर्ष के लिए योजना के दिशानिर्देशों में दर्शायी गयी हैं। एसएएससीआई 2026-27 के दिशानिर्देश संलग्न हैं।

एफ सं. 44(1)/पीएफ-एस/2026-27 (कैपेक्स)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

सार्वजनिक वित्त-राज्य प्रभाग

कर्तव्य भवन 1, न्यू दिल्ली
दिनांक: 27 मार्च, 2026

सेवा में,
मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन,
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई), 2026-27। के लिए दिशानिर्देश

महोदया/महोदय,

1. पूंजीगत व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, इसके उच्च गुणक प्रभाव, अर्थव्यवस्था की भांवी उत्पादक क्षमता में वृद्धि और उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देने सहित, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2020-21 से पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. राज्य सरकारों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया के आलोक में, वर्ष 2026-27 में योजना को जारी रखने के उनके अनुरोधों और उच्च पूंजी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक पुन: प्रारुपित एसएएससीआई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026-27 में इस उद्देश्य के लिए 2,00,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

3. एसएएससीआई 2026-27 के तहत, राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सहायता वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमत सामान्य निवल ऋण सीमा (एनबीसी) के अतिरिक्त होगी। धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही किया जाएगा, जब तक कि इन दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

4. एसएएससीआई के किसी भी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी प्रमाण पत्र/घोषणाएं, साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा व्यय विभाग के पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। कोई मैन्युअल प्रस्तुतीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. एसएएससीआई के किसी भी घटक के तहत आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों/घोषणाओं पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वित्त विभाग में वरिष्ठतम अधिकारी (अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होंगे।

6. एसएएससीआई 2026-27 के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित चल रही परियोजनाओं के संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगे जिनके वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर पूरा होने की संभावना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पूरी हो चुकी परियोजनाओं की तस्वीरें भी अपलोड करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी परियोजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया जाए।

7. बेहतर फोकस और संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसएएससीआई के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकतम पांच क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे और तदनुसार परियोजना प्रस्ताव रखेंगे।

8. अनिवार्य शर्तें: एसएएससीआई 2026-27 के किसी भी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों का पालन करना होगा:

(i) सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अधिकारिक नामकरण के पूर्ण अनुपालन [स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति है] के साथ-साथ सभी मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं में सीएसएस की ब्रांडिंग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन करना। इस प्रयोजन के लिए, पीएफएमएस के माध्यम से प्रस्तुत और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वित्त विभाग में वरिष्ठतम अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को पर्याप्त माना जाएगा, जब तक कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा किसी उल्लंघन की सूचना नहीं दी जाती है।

(ii) वर्ष 2025-26 या उससे पहले जारी की गई निधि के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के तहत निर्धारित फॉर्म 12-बी में 31 मार्च 2026 तक उपयोग की गई धनराशि के भाग-वार उपयोग को दर्शाते हुए, पीएफएमएस के माध्यम से एक समेकित उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) ऑनलाइन जमा करना। यह आवश्यकता 'यूनिटी मॉल के निर्माण', 'वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास', 'कामकाजी महिला छात्रावास', पुलिस आवास, बाल और किशोर पुस्तकालयों तथा डिजिटल अवसंरचना के घटकों के तहत जारी धनराशि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए वर्ष 2025-26 में राज्यों को अतिरिक्त आवंटन पर लागू नहीं होगी।

9. एसएएससीआई 2026-27 में कई भाग शामिल हैं। वर्तमान में निम्नलिखित भागों के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। शेष भागों के लिए दिशा-निर्देश उचित समय पर अलग से जारी किए जाएंगे।

10. भाग-I (शर्तरहित निधि)

i. निधियों का आवंटन

भाग-I के तहत 75,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसमें से 67,000 करोड़ रुपये राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कोंके रूप में उनके हिस्से के अनुपात में 16वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार आवंटित किए गए हैं। विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन **अनुबंध-I में दिया गया है**।
शेष 5,000 करोड़ रुपये की राशि निम्नलिखित श्रेणियों के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए शेष धनराशि जारी करने के लिए निर्धारित किए गए हैं:

- यूनिटी मॉल का निर्माण
- पुलिस आवास
- बाल एवं किशोर पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना
- वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास
- कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण

ii. निधियों का जारी किया जाना निधियां

इस भाग के तहत निधियां दो किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त, जो अनुमोदित आवंटन का 66% है, इन दिशानिर्देशों में निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर जारी की जाएगी। दूसरी किस्त, जो स्वीकृत आवंटन का 34% है, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन जारी की जाएगी:

क. पहली किस्त में जारी की गई धनराशि का कम से कम 75% उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जीएफआर, 2017 के फॉर्म 12-बी में एक उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करेगा।

ख. सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सभी एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) बैंक खाते बंद रहेंगे। अप्रयुक्त केंद्रीय हिस्सेदारी, बंद होने की तारीख तक उस पर अर्जित ब्याज के साथ, भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। इस आशय का एक प्रमाण पत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

ग. वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान एसएएससीआई के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में पीएफएमएस पर अपलोड किया गया है।

iii. एसएएससीआई 2025-26 के तहत जारी की गई कोई भी धनराशि जो अप्रयुक्त रहती है, जैसा कि उपयोगिता प्रमाणपत्र में परिलक्षित होता है, को पहली किस्त के साथ समायोजित किया जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान यूनिटी मॉल के निर्माण, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास, कामकाजी महिला छात्रावास, पुलिस आवास, बाल और किशोर पुस्तकालयों और डिजिटल अवसंरचना के लिए जारी धनराशि और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के लिए 2025-26 में राज्यों को किए गए अतिरिक्त आवंटन पर लागू नहीं होगा। उसी वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए 2025-26 के दौरान जारी की गई धनराशि के संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 31.12.2026 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

iv. यूनिटी मॉल, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास, कामकाजी महिला छात्रावास, पुलिस आवास, और बच्चों एवं किशोर पुस्तकालयों और डिजिटल अवसंरचना की परियोजनाओं के लिए शेष धनराशि एक ही किस्त में जारी की जाएगी, बशर्ते कि इन परियोजनाओं के लिए पहले जारी की गई धनराशि का कम से कम 75 % उपयोग किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएफएमएस के माध्यम से जीएफआर, 2017 के फॉर्म 12-बी में एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 31.03.2026 तक एसएनए खातों में अर्जित संपूर्ण ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा करेंगे। विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, जहां अभी तक धनराशि जारी नहीं की गई है, धनराशि दो समान किस्तों में जारी की जाएगी।

11. भाग-II (केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा)

i. निधियों का आवंटन और जारी करना

इस भाग के तहत रेलवे परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, राजमार्ग परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं और हवाई अड्डों के साथ-साथ अमृत, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन आदि जैसी अवसंरचना-उन्मुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) सहित केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के वित्तपोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

यह राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच भाग-I के अंतर्गत उनके आबंटन के अनुपात में आवंटित की जाएगी।

इस भाग के तहत धनराशि दो किस्तों में जारी की जाएगी:

- राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा योजनाओं और परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करने पर अनुमोदित आवंटन की 66% धनराशि की पहली किस्त जारी की जाएगी।
- दूसरी किस्त, जो स्वीकृत आवंटन का 34% है, पहली किस्त में जारी की गई धनराशि के कम से कम 75% के उपयोग पर जारी की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएफएमएस के माध्यम से जीएफआर, 2017 के फॉर्म 12-बी में एक उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, यदि आवश्यक हो, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अवसंरचना परियोजनाओं के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए भाग-I के अंतर्गत निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

12. भाग-III (पूंजीगत व्यय के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन)

i. आवंटन और पात्रता मानदंड

इस भाग के तहत 25,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भाग-I के तहत उनके आवंटन के अनुपात में उपलब्ध होगी।

- निर्धारित राशि का 50% उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो 2024-25 की तुलना में 2025-26 के दौरान पूंजीगत व्यय में 10% से अधिक की वृद्धि दर हासिल करते हैं।

- शेष 50% उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 2026-27 के पहले छह माह के दौरान पूंजीगत व्यय में 10% से अधिक की वृद्धि दर हासिल करते हैं।

पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गणना करने के प्रयोजन के लिए, प्रासंगिक अवधि के दौरान पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई राशि का 100% छोड़ा जाएगा। केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने संसाधनों से किए गए व्यय पर विचार किया जाएगा।

किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का पूंजीगत व्यय, जहां भी उपलब्ध हो राज्य वित्त लेखों के विवरण संख्या 5 के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ऐसे मामलों में, जहां राज्य वित्त खाते उपलब्ध नहीं हैं, आंकड़े नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वेबसाइट पर प्रकाशित 'मासिक प्रमुख संकेतक' से प्राप्त किए जाएंगे।

इस भाग के अंतर्गत अनुमोदित प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किसी भी क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

13. भाग-IV (राज्यों में सार्वजनिक वित्त आईटी अवसंरचना को मजबूत करना)

i. उद्देश्य

इस भाग का उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं के संपूर्ण डिजिटलीकरण और वित्त, कार्यों तथा खरीद प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक वित्त आईटी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में वृद्धि हो सके।

ii. परिव्यय

इस भाग के तहत 4,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रोत्साहन केवल 2026-27 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सुधारों के लिए उपलब्ध होगा।

इस भाग के अंतर्गत जारी की गई प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

iii. घटक

घटक I - आईएफएमआईएस मॉड्यूल

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमआईएस) के भीतर निम्नलिखित सात मॉड्यूल में से कम से कम छह मॉड्यूल के कार्यान्वयन पर 50 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा:

क. **ई-सैंक्शन मॉड्यूल** - वित्तीय और प्रशासनिक संस्वीकृतियों के ऑनलाइन सृजन, अनुमोदन और ट्रैकिंग के लिए, अनुरेखनीयता और प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का पालन सुनिश्चित करना।

ख. **ई-बजट मॉड्यूल** - डिजिटल बजट तैयार करना, अनुमोदन, वितरण और निगरानी, आवंटन और व्यय के वास्तविक समय पर नज़र रखने में सक्षम बनाना।

ग. **ई-भुगतान मॉड्यूल** - भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म सहित बैंकिंग प्रणालियों के साथ एकीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण और भुगतान के संवितरण के लिए, सुरक्षित, समयोचित और ऑडिट योग्य लेनदेन सुनिश्चित करना।

घ. **ई-रसीद मॉड्यूल** - सरकारी प्राप्तियों के इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर और लेखांकन के लिए, पारदर्शिता में सुधार और राजस्व प्रवाह के समाधान के लिए।

ङ. **ई-वाउचर मॉड्यूल** - डिजिटल रूप से सृजित, प्रमाणित और संग्रहीत वाउचर के लिए, लेखांकन और निरीक्षण के लिए वाउचर-स्तर के आंकड़ों की वास्तविक समय उपलब्धता को सक्षम बनाता है।

च. **ई-एचआरएमएस** - वेतन, पेंशन और संबंधित भुगतान के लिए वित्तीय प्रणालियों के साथ एकीकृत, कर्मचारी रिकॉर्ड, वेतन, अवकाश, सेवा मामलों और निष्पादन से संबंधित जानकारी के प्रबंधन के लिए,

छ. **राज्य योजनाओं सहित लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए** 100% आधार-आधारित डीबीटी।

घटक II - कार्य और खरीद प्रणाली

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित दोनों प्रणालियों के कार्यान्वयन पर 50 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा:

क. **आईएफएमआईएस के तहत कार्य प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएएमआईएस/डब्ल्यूएएम) या समकक्ष प्रणाली** - सार्वजनिक निर्माण, वन, सड़क और पुल आदि जैसे विभागों में मंजूरी, ई-एमबी, बिलिंग, भुगतान, सत्यापन और निगरानी सहित कार्यों के पूर्ण चक्र को कवर करती है।

ख. **ई-खरीद प्रणाली** - वस्तुओं और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक खरीद के लिए, जिसमें बोली जमा करना, सत्यापन, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन और प्रणाली के माध्यम से अनुबंध प्रदान करना शामिल है।

घटक III - सिस्टम एकीकरण और अंतरसंचालन

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित दोनों एकीकरणों के कार्यान्वयन पर **50 करोड़ रुपये** के प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा:

क. डबल्यूएएमआईएस (या समकक्ष प्रणाली) के साथ आईएफ़एमआईएस का लाइव एकीकरण
ख. ई-खरीद प्रणाली के साथ आईएफएमआईएस का लाइव एकीकरण, मंजूरी से लेकर लेखांकन तक संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है

घटक IV - डिजिटलीकरण कवरेज और लेखांकन परिणाम

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित के 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने पर 50 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा:

- आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ)
- कोषागार
- कार्य/वन प्रभाग

iv. प्रस्तुतीकरण और सत्यापन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, प्रत्येक घटक के तहत सुधारों को पूरा करने पर, दिनांक 15.12.2026 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय प्रस्तुतियों की जांच करेगा और दिनांक 31.12.2026 तक प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) को सिफारिशें करेगा।

v. परिचालन दिशानिर्देश

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, यदि आवश्यक हो, **तो 30.04.2026** तक इस भाग के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

14. भाग-V (खनन क्षेत्र में सुधार)

i. उद्देश्य

इस भाग का उद्देश्य खदान संचालन को सुविधाजनक बनाना और उसमें तेजी लाना, खनिज उत्पादन में वृद्धि करना, खनन क्षेत्र से राज्यों द्वारा राजस्व संग्रह में वृद्धि करना और खनन क्षेत्र के समग्र प्रशासन में सुधार करना है।

ii. परिव्यय

इस भाग के तहत 5,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो राज्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।
इस भाग के अंतर्गत जारी की गई प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
इस भाग में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

iii. घटक-I: खनन सुधारों का कार्यान्वयन

इस घटक के तहत खनन प्रशासन और विनियमन के क्षेत्रों में सुधार कार्यों को शुरू करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	सुधार मानदंड	पात्रता	प्रोत्साहन

1.	खदान संचालन के लिए खान मंत्रालय के खनन पोर्टल के साथ राज्य का एकीकरण।	सभी सुधार कार्य पूरे हुए	'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर प्रति राज्य 100 करोड़ रुपये
2.	भूमि और समय-निर्धारण के मुद्दों को सक्रिय रूप से हल करने के लिए एक नीलामी-पूर्व समिति का गठन।		
3.	खदानों के संचालन की नियमित निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन और 2026-27 के दौरान कम से कम एक बैठक आयोजित करना।		
4.	प्रमुख खनिजों के लिए एक वार्षिक नीलामी कैलेंडर का प्रकाशन और जहां तक संभव हो उसका पालन करना।		
5.	खनिज अयस्क के ग्रेड कुवर्गीकरण को रोकने या पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को अपनाना।		

iv. घटक-II (खदान संचालन): इस घटक के तहत निम्नलिखित सुधार कार्यों के लिए 2,500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है:

क्र.सं.	**सुधार पैरामीटर**	**प्रेरक**
1	नहीं। वित्त वर्ष 2026-27 (31.12 2027 तक) में प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस (जैसे वन, पर्यावरण, भूमि, आदि) वाले प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई	'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर प्रति राज्य 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन सीमा के साथ प्रति ब्लॉक 20 करोड़ रुपये की सफलतापूर्वक नीलामी की गई
2	राज्य ने वित्त वर्ष 2026-27 (31.12.2026 तक) के दौरान 31.09.2026 तक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए प्रमुख खनिज ब्लॉकों में से कम से कम 10 % का संचालन (यानी उत्पादन और प्रेषण की शुरुआत) शुरू कर दिया है।	'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर प्रति राज्य 250 करोड़ रुपये

घटक-III: राज्य खनन तत्परता सूचकांक (एसएमआरआई)-आधारित सुधार

एसएमआरआई 2026 के तहत तीन श्रेणियों (ग्रुप ए, बी और सी) में से प्रत्येक में शीर्ष तीन रैंक हासिल करने वाले राज्यों को आवंटित करने के लिए इस घटक के तहत 675 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

पात्र राज्यों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्राप्त होंगे:

- **प्रथम स्थान के लिए** 100 करोड़ रुपये
- **दूसरे स्थान के लिए** रु. 75 करोड़
- **तीसरे स्थान के लिए** 50 करोड़ रुपये

खान मंत्रालय इस भाग के लिए नोडल मंत्रालय है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दावा किए गए सुधारों की जांच और सत्यापन करेगा और प्रोत्साहनों के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करेगा। इसके बाद, यह धन जारी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को पात्र प्रस्तावों की सिफारिश करेगा। प्रस्तावों और सिफारिशों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा इस प्रकार होगी:

घटक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा	खान मंत्रालय के लिए शिक्षा निदेशालय को सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय सीमा
घटक -I	15.12.2026	31.12.2026
घटक -II	31.12.2026	15.01.2027
घटक -III	15.12.2026	31.12.2026

उपरोक्त समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों/सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

vii. परिचालन दिशानिर्देश

खान मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, तो 30.04.2026 तक इस भाग के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

15. भाग-VI (दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत मार्ग का अधिकार नियम, 2024 का कार्यान्वयन)

i. उद्देश्य

राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) देश भर में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आरओडब्ल्यू के लिए त्वरित और परेशानी मुक्त अनुमोदन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस भाग का उद्देश्य दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अधिसूचित मार्ग का अधिकार (RoW) नियम, 2024 के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है।

ii. व्यय

इस भाग के तहत 4,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
इस भाग के तहत प्रोत्साहन के लिए केवल 2026-27 के दौरान किए गए सुधारों पर विचार किया जाएगा।

iii. राज्यों का समूहीकरण

इस भाग के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नानुसार समूहीकृत किया गया है:

	A	B	C	D

निर्धारित राशि (करोड़ रुपये में)	**250**	**150**	**75**	**25**
States/UTs	1. कर्नाटक 2. उत्तर प्रदेश 3. मध्य प्रदेश 4. महाराष्ट्र 5. पश्चिम बंगाल 6. केरल 7. तमिलनाडु 8. आंध्र प्रदेश	1. हरियाणा 2. ओडिशा 3. गुजरात 4. राजस्थान 5. तेलंगाना 6. बिहार 7. पंजाब	1. झारखंड 2. उत्तराखंड 3. हिमाचल प्रदेश 4. छत्तीसगढ़ 5. असम 6. गोवा 7. दिल्ली 8. जम्मू और कश्मीर	1. अरुणाचल प्रदेश 2. मणिपुर 3. मेघालय 4. मिजोरम 5. नागालैंड 6. सिक्किम 7. त्रिपुरा 8. पुडुचेरी

iv. सुधार और प्रोत्साहन राशि:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले सुधार और पात्र प्रोत्साहनों की गणना का तरीका इस प्रकार है:

सुधार/मानदंड	**प्रोत्साहन (निर्धारित राशि का %)**
दूरसंचार विभाग के आरओडब्ल्यू नियम 2024 का कार्यान्वयन [01.04/2026 से]	
दूरसंचार अधिनियम 2023 और दूरसंचार विभाग के आरओडब्ल्यू नियम 2024 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करना - 1. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है। • सभी संबंधित एसपीएसयू/निगमों आदि द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है।	30%
1. आरओडब्ल्यू और भारतनेट आवेदनों को जमा करने और संसाधित करने के लिए राज्य संस्थाओं के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आरओडब्ल्यू पोर्टल का निर्माण 2. एमआईएस और केंद्रीय निगरानी के लिए दूरसंचार विभाग के 'दूरसंचार ई-सेवा पोर्टल' के साथ राज्य आरओडब्ल्यू पोर्टल को एकीकृत करना।	15%
31.03.2026 तक जमा किए गए सभी बैकलॉग आवेदनों का 30.09.2026 तक निपटान किया जाएगा।	15% (100% निपटान पर) 10% (85% तक निपटान) शून्य (<85% निपटान)

01.07.2026 से 15.11.2026 तक जमा किए गए सभी आवेदनों के लिए आरओडब्ल्यू आवेदनों के औसत निपटान समय को घटाकर 45 दिन या उससे कम किया जाना	5%
विशेष परियोजना (भारतनेट) अनुमतियाँ	
1. संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सहायता समझौते के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर 2. चूंकि भारतनेट को आरओडब्ल्यू नियम 2024 के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसलिए निम्नलिखित का अनुपालन किया जाना चाहिए: RoW अनुमतियों के लिए कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। । भारतनेट आवेदनों को संसाधित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आवेदन के 7 दिनों के भीतर डीम्ड अनुमति का प्रावधान करें।	25%
विद्युत मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन	
1. संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों में बिजली कनेक्शन को सरकारी कनेक्शन के रूप में मानने के लिए पत्र संख्या 12/01/2018-एनईएफ (यू)-भाग 1 (ई: 246321) दिनांक 13.01.2026 के माध्यम से राज्य सरकारों को विद्युत मंत्रालय के निर्देशों का कार्यान्वयन। 2. सभी डिस्कॉम को सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) लागू करना होगा और आवेदक (दूरसंचार कंपनी, अवसंरचना प्रदाता, आदि) के सभी बिलों का समेकन करना होगा। विद्युत पत्र संख्या 23/1/2023-आर एंड आर दिनांक 24 मई 2023	10%

v. सुधारों को पूरा करने के बाद राज्य सरकारें 15.12.2026 तक दूरसंचार विभाग (नोडल विभाग/मंत्रालय) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। दूरसंचार विभाग एक राज्य द्वारा प्रस्तुतियों की जांच करेगा और उसके बाद 31.12.2026 तक प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए डीओई को सिफारिशें करेगा।

vi. दूरसंचार विभाग, यदि आवश्यक हो, तो 30.04.2026 तक इस हिस्से के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

16. भाग-VII (कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना - एग्रीस्टैक)

i. उद्देश्य

इस भाग का उद्देश्य किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) के परिचालन उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) (एग्रीस्टैक) के विकास में तेजी लाना है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एग्रीस्टैक योजना की दक्षता में सुधार, लाभों के बेहतर लक्ष्यीकरण, लीकेज में कमी और किसान-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने में योगदान दे।

ii. व्यय

इस भाग के तहत 13,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। इस भाग के तहत प्रोत्साहन के लिए केवल 2026-27 के दौरान किए गए सुधारों पर विचार किया जाएगा।

iii. अवयव

इस भाग में निम्नलिखित घटक शामिल हैं: **घटक ए:** एग्रीस्टैक-सक्षम प्राथमिकता उपयोग के मामलों का कार्यान्वयन

क. **घटक बी:** सभी किसानों को शामिल करते हुए राज्य किसान रजिस्ट्री का निर्माण, और पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर), पहाड़ी राज्यों, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों में खरीफ 2026 और रबी 2026-27 के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) का संचालन

ख. **घटक सी:** भू-संदर्भित गांव मानचित्र रजिस्ट्री का निर्माण

ग. **घटक डी:** मालिक भूखंडों के लिए उपग्रह प्लॉट खंडों का मानचित्रण

iv. घटक ए: एग्रीस्टैक-सक्षम उपयोग के मामलों का कार्यान्वयन

इस घटक के तहत 10,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसे निम्नलिखित चार प्राथमिकता उपयोग मामलों में वितरित किया गया है:

क. एग्रीस्टैक-सक्षम उर्वरक वितरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये

ख. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत एग्रीस्टैक आधारित खरीद के लिए 4,000 करोड़ रुपये

ग. एग्रीस्टैक का उपयोग करके उत्पादन अनुमान के लिए 500 करोड़ रुपये

घ. नामांकन और दावों के निपटान के लिए किसान आईडी के उपयोग के लिए 500 करोड़ रुपये, और पीएमएफबीवाई के तहत फसल सत्यापन के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) के उपयोग के लिए

v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण

यह देखते हुए कि किसानों की संख्या सीधे कार्यान्वयन के पैमाने और दायरे को प्रभावित करती है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बनाए गए किसान आईडी (एफआईडी) की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है:

क. श्रेणी I: 1 करोड़ से अधिक किसान आईडी

ख. श्रेणी II: 50 लाख से 1 करोड़ किसान आईडी

ग. श्रेणी III: 10 लाख से 50 लाख किसान आईडी

घ. श्रेणी IV: 10 लाख से कम लेकिन 1 लाख से अधिक किसान आईडी

vi. फंड आवंटन

इस घटक के तहत निधि आवंटन का निर्धारण विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर किया गया है।

श्रेणियां और घटक-वार आवंटन (करोड़ रुपये में)					
घटक ए (बक्सों का इस्तेमाल करें)		राज्यों की श्रेणियां (राज्य में किसान आईडी के अनुसार)			
		श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
एग्रीस्टैक-सक्षम उर्वरक वितरण	**मुख्य पड़ाव 1:** पायलट (कम से कम 2 जिलों को कवर करते हुए)	200	175	150	100
	मुख्य पड़ाव 2: पायलट से परे, (i) >=8 जिलों वाले राज्यों में 50% तक जिले या (ii) <8 जिलों वाले राज्य के सभी जिलों को कवर करना।	200	165	125	100
	मुख्य पड़ाव 3: >=8 जिलों वाले राज्य के सभी जिलों को कवर करना	400	325	275	200
एमएसपी के तहत एग्रीस्टैक-सक्षम खरीद	**मुख्य पड़ाव 1:** पायलट (कम से कम 2 जिलों को कवर करते हुए)	100	75	50	40
	मुख्य पड़ाव 2: पायलट से परे, (i) >=8 जिलों वाले राज्यों में 50% तक जिले या (ii) <8 जिलों वाले राज्य के सभी जिलों को कवर करना।	200	150	100	80
	मुख्य पड़ाव 3: >=8 जिलों वाले राज्य के सभी जिलों को कवर करना	400	300	200	160
एग्रीस्टैक का उपयोग करके	**मुख्य पड़ाव 1:** पायलट (कम से कम 2 जिलों को कवर करते हुए)	5	3	1.5	1

उत्पादन अनुमान	**मुख्य पड़ाव 2:** पायलट से परे, राज्य के सभी जिलों को कवर करना	45	27	13.5	9
पीएमएफबीवाई के तहत नामांकन और दावा जारी करने के लिए किसान आईडी और फसल सत्यापन के लिए डीसीएस का उपयोग	**मुख्य पड़ाव 1:** पायलट (कम से कम 2 जिलों को कवर करना)	5	3	1.5	1
	मुख्य पड़ाव 2: पायलट से परे, राज्य के सभी जिलों को कवर करना	45	27	13.5	9

v. घटक बी: किसान आईडी निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का संचालन

यह घटक केवल पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर), पहाड़ी राज्यों, गोवा राज्य और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है।

इस घटक के तहत 1,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 70% किसान आईडी बनाने के लिए और 30% डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) के संचालन के लिए आवंटित किया गया है।

a. किसान रजिस्ट्री के लिए मील के पत्थर

किसान रजिस्ट्री के निर्माण के लिए सहायता के लिए मील के पत्थर और मानदंड			
मुख्य पड़ाव #	**या क़िस्म**	**प्रति किसान प्रोत्साहन (INR में)**	**कुल प्रोत्साहन (INR में)**
मुख्य पड़ाव - 1	प्रदेश के 25 % किसानों के पास किसान पहचान पत्र	1750	किसान आईडी की संख्या X 1750
मुख्य पड़ाव - 2	प्रदेश के 50 % किसानों के पास किसान पहचान पत्र	1250	किसान आईडी की संख्या X 1250
मुख्य पड़ाव - 3	राज्य में 75 % किसानों के पास किसान आईडी है	750	किसान आईडी की संख्या X 750
मुख्य पड़ाव - 4	राज्य में 100 % किसानों के पास किसान आईडी है	500	किसान आईडी की संख्या X 500

इस श्रेणी के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक उपलब्धि पूरा होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे:

- मुख्य पड़ाव -1: 20 Crores
- मुख्य पड़ाव -2: 30 Crores
- मुख्य पड़ाव -3: 40 Crores

- मुख्य पड़ाव -4: 50 Crores

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) के लिए मील के पत्थर

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के डीसीएस के लिए सहायता के लिए क्रमिक मील के पत्थर		
मुख्य पड़ाव #	**या क़िस्म**	**राज्य के लिए प्रोत्साहन**
1	राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 गांव में डीसीएस की अवधारणा का प्रमाण किया गया*	30 Crores
2	खरीफ और रबी में राज्य भर में सर्वेक्षण किए गए कम से कम 25% गांवों (सभी जिलों को कवर करते हुए) (2026-2027)	40 Crores
3	खरीफ और रबी में राज्य भर में सर्वेक्षण किए गए कम से कम 50% गांवों (सभी जिलों को कवर करते हुए) (2026-2027)	60 Crores

*जिन राज्यों ने पहले ही पिछली विशेष केंद्रीय सहायता में पीओसी मील के पत्थर का दावा किया है, वे इस घटक के तहत माइलस्टोन 1 के लिए पात्र नहीं होंगे।

vi. घटक सी: भू-संदर्भित गांव मानचित्र रजिस्ट्री

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भू-संदर्भित ग्राम मानचित्रों की पूर्णता, सटीकता, सत्यापन और अनुमोदन में सुधार के लिए इस घटक के तहत 1,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
इस घटक के तहत वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किए गए पहले 3 लाख गांवों तक सीमित होगी और परिभाषित कार्यान्वयन मील के पत्थर हासिल करने पर इसे उत्तरोत्तर प्रति-ग्राम आधार पर जारी किया जाएगा। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए माइलस्टोन-वार प्रोत्साहन इस प्रकार होंगे:

मुख्य पड़ाव (संचयी गांव कवरेज)	**प्रति ग्राम प्रोत्साहन (रु)**	**कुल आवंटन (करोड़ रुपए)**
मुख्य पड़ाव I: 25 % गांवों तक कवरेज	20,000	150
मुख्य पड़ाव II: कवरेज >25% और 50% तक villages	30,000	225
मुख्य पड़ाव III: कवरेज >50% और 75% तक villages	40,000	300
मुख्य पड़ाव IV: कवरेज >75% और 100% तक गांव	43,333	325
Total	–	1,000

vii. घटक डी: मालिक भूखंडों के लिए उपग्रह प्लॉट खंडों का मानचित्रण

इस घटक के तहत 1,000 करोड़ रुपये की राशि उपग्रह छवि-व्युत्पन्न भूमि खंडों को उनके संबंधित मालिक भूखंडों के मानचित्रण के लिए निर्धारित की गई है, जिससे किसान स्तर के भूखंडों की सटीक पहचान हो सके।

केवल वे गांव जिनके भू-संदर्भित मानचित्रों के साथ पूर्ण, सटीक और विधिवत मान्य हैं, जैसा कि घटक सी के तहत निर्धारित किया गया है, इस घटक के तहत विचार के लिए पात्र होंगे।
इस घटक के तहत कवर किए गए पहले 3 लाख गांवों के लिए माइलस्टोन-लिंक्ड भुगतान के माध्यम से भूमि खंड मानचित्रण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
कुल आवंटन में से 50 करोड़ रुपये पहले दस राज्यों द्वारा शुरू किए जाने वाले एक पायलट कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पायलट गांवों के लिए प्रति गांव समर्थन बढ़ाया गया है। शेष आवंटन परिभाषित कवरेज मील के पत्थर की उपलब्धि के आधार पर उत्तरोत्तर जारी किया जाएगा।
प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य पड़ाव-वार प्रोत्साहन इस प्रकार होंगे:

मुख्य पड़ाव/ श्रेणी	**कवरेज विवरण**	**प्रति ग्राम प्रोत्साहन (रु)**	**आवंटन (करोड़ रुपये)**
मुख्य पड़ाव I	25 % गांवों तक कवरेज	20,000	150
मुख्य पड़ाव II	कवरेज >25% और 50% तक गांवों	30,000	225
मुख्य पड़ाव III	कवरेज >50% और 75% तक गांवों	37,333	280
मुख्य पड़ाव IV	कवरेज >75% और 100% तक गांव	39,333	295
पायलट कार्यक्रम	पहले 10 राज्यों द्वारा पायलट खंड मानचित्रण (प्रति राज्य न्यूनतम 50 गांव; कुल मिलाकर 2,500 गांवों तक)	2,00,000	50
कुल		–	1,000

vi. **प्रस्तुतीकरण और सत्यापन**

सुधारों के पूरा होने पर राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 15.12.2026 तक कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
कृषि और किसान कल्याण विभाग प्रस्तुतियों की जांच करेगा और उसके बाद, 31.12.2026 तक प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) को सिफारिशें करेगा।

vii. **परिचालन दिशानिर्देश**

कृषि और किसान कल्याण विभाग, यदि आवश्यक हो, तो दिनांक 30.04.2026 तक इस भाग के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

17. भाग-VIII (पशुधन क्षेत्र में सुधार)

i. उद्देश्य

इस भाग का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना और पशुधन, डेयरी और पशु चिकित्सा क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना है।

ii. परिव्यय

इस भाग के तहत 3,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

इस भाग के तहत प्रोत्साहन के लिए केवल वर्ष 2026-27 के दौरान किए गए सुधारों पर विचार किया जाएगा।

iii. राज्यों का समूहीकरण

इस भाग के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नानुसार समूहीकृत किया गया है:

श्रेणी	**क**	**ख**	**ग**	**घ**
निर्धारित राशि (करोड़ रुपये में)	**300**	**250**	**200**	**100**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1. उत्तर प्रदेश 2. मध्य प्रदेश 3. राजस्थान 4. बिहार 5. पश्चिम बंगाल 6. गुजरात 7. महाराष्ट्र	1. झारखंड 2. असम 3. कर्नाटक 4. आंध्र प्रदेश 5. तमिलनाडु 6. छत्तीसगढ़ 7. तेलंगाना	1. ओडिशा 2. हरियाणा 3. पंजाब 4. हिमाचल प्रदेश 5. जम्मू & कश्मीर 6. केरल 7. उत्तराखंड 8. मेघालय	1. अरुणाचल प्रदेश 2. दिल्ली 3. गोवा 4. मणिपुर 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. पुडुचेरी 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा

iv. सुधार और प्रोत्साहन अवसंरचना

इस भाग के तहत प्रोत्साहन जारी करना योग्यता मानदंडों और प्रदर्शन मानदंडों के तहत प्राप्त अंक की पूर्ति के अध्यधीन होगा, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

v. योग्यता मानदंड

इस भाग के तहत प्रोत्साहन हेतु पात्र होने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित छह मानदंडों में से कम से कम पांच को पूरा करेंगे:

क. नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम) के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 12 नवंबर डीएएचडी के आदेश संख्या एनडीएलएम संख्या 1/2025-26 ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक सभी स्तरों पर की जाएगी।

ख. एनडीएलएम समितियों का गठन

एनडीएलएम समितियां, जिनके नाम राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी), राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी), जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (डीएलआईसी) और ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति (बीएलआईसी) है का गठन दिनांक 12 नवंबर 2025 के डीएएचडी कार्यालय ज्ञापन संख्या टी-20011/11/2025-AHS_DADF (ई-38162) उपयुक्त प्रशासनिक स्तरों पर किया जाएगा।

ग. आईएसएस पदों का सृजन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) द्वारा आवंटित पदों के सृजन के लिए आदेश जारी करेंगे।

घ. डेयरी डेटा अपलोड

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को डेयरी संस्थानों का पूरा डेटा एनडीएलएम-डेयरी विकास पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ङ पशु चिकित्सा संस्थानों की मैंपिंग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने अस्पतालों, औषधालयों, उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्रयोगशालाओं, नैदानिक केंद्रों, एबीसी केंद्रों, रिकवरी क्षेत्रों, डॉग केनेल, डॉग वैन और डॉग शेल्टर सहित सभी पशु चिकित्सा संस्थानों को एनडीएलएम-भारत पशुधन पोर्टल पर मैपिंग की होगी।

च. चारा संसाधन योजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 24 नवंबर 2025 के डीएचएडी के का.ज्ञा.सं.आर-24018/29/2022-कैटल_डिव (ई-23126) में दी गई सलाह के अनुसार चारा संसाधन योजना तैयार और अधिसूचित की होगी।

vi. कार्यनिष्पादन मानदंड

#	कार्यनिष्पादन मानदंड	अधिकतम अंक
1	एनडीएलएम-भारत पशुधन पोर्टल पर पशुधन मालिकों के आधार और मोबाइल नंबर को अद्यतित करना <u>स्कोरिंग मीट्रिक:</u> a. 50% तक: 0 अंक b. >50% किंतु <=75%: 10 अंक c. >75% किंतु < = 90%: 15 अंक d. > 90%: 20 अंक	20
2	डीएएचडी के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत की पशु चिकित्सा संस्थानो (जीएमएसवीआई) के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देशों को अपनाना।	20
3	एफएमडी टीकाकरण उस दौर में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का	20

	पालन करता है जिसके लिए दौर की अंतिम तिथि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होती है। <u>स्कोरिंग मीट्रिक:</u> a. <80% टीकाकरण कवरेज - 0 b. 80-90% टीकाकरण कवरेज - 10 c. >90% टीकाकरण कवरेज - 20 *(एनडीएलएम - भारत पशुधन पोर्टल डेटा के आधार पर)*	
4	विकसित भारत में चारा विकास/पशु चिकित्सा अवसंरचना विकास/पशुधन प्रजनन अवसंरचना विकास/पशुपालन अवसंरचना विकास के लिए प्रावधान का % - रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) के लिए गारंटी: <u>स्कोरिंग मीट्रिक:</u> कुल वीबी-जीरामजी बजट के % के रूप में बजटीय प्रावधान (बीपी) क. बीपी 2% से कम या उसके बराबर: 0 अंक ख. बीपी >2% किंतु <=4%: 4 अंक ग. BP>4% किंतु <=6%: 8 अंक घ. BP>6% किंतु <=8%: 12 अंक ङ. BP>8% किंतु <=10%: 16 अंक च. च. बीपी>10%: 20 अंक	20
5	रिक्त पशु चिकित्सक / पैरा-पशु चिकित्सक पदों को भरना क. 31 मार्च 2026 तक रिक्त पदों के लिए पशु चिकित्सा पदों को भरने हेतु विज्ञापनों का प्रकाशन। ख. 31 मार्च 2026 तक पैरा-पशु चिकित्सा पदों को भरने के लिए रिक्तियों हेतु विज्ञापनों का प्रकाशन।	10 10
6	निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और लक्ष्यों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कवरेज स्कोरिंग मीट्रिक: क. लक्ष्य से अधिक कोई वृद्धि नहीं - 0 अंक ख. लक्ष्य से 5% ऊपर - 3 अंक ग. लक्ष्य से 5-10% अधिक - 5 अंक घ. लक्ष्य से 10% से अधिक - 10 अंक (एनडीएलएम-भारत पशुधन पोर्टल डेटा के आधार पर)	10
7	गर्भाधान दर (एनडीएलएम - भारत पशुधन डेटा के आधार पर) स्कोरिंग मीट्रिक: क. < 33% गर्भाधान दर - 0 अंक ख. 33% - 40% गर्भधारण दर - 5 अंक ग. c. > 40% गर्भाधान दर -10 अंक	10

8	सहकारी/दुग्ध खरीद केंद्र (एमपीसी) द्वारा दूध खरीद में वृद्धि दर स्कोरिंग मीट्रिक: विकास दर में वृद्धिशील सुधार क. सितंबर 2025 में दूध की तुलना में < 6% की वृद्धि की खरीद: 0 अंक ख. सितंबर 2025 में दूध की तुलना में ≥ 6% से 9% < वृद्धि की खरीद: 5 अंक ग. 9% सितंबर 2025 ≥ वृद्धि दूध की खरीद: 10 अंक *(राज्य के औसत की गणना दूध खरीद की मात्रा के अनुपात में भारित जिला औसत का उपयोग करके की जाएगी)*	10
9	डीएएचडी द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में नई डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) की स्थापना और क्रियाकलाप स्कोरिंग मीट्रिक: क. लक्ष्य से अधिक कोई वृद्धि नहीं - 0 ख. वृद्धि <50% लक्ष्यों से अधिक है (उपयोग नहीं किए गए क्षेत्रों के लिए लक्ष्य से 25% अधिक) - 3 अंक ग. वृद्धि लक्ष्य से 50-75% अधिक है (उपयोग नहीं किए गए क्षेत्रों के लिए लक्ष्य से 50% अधिक) - 5 अंक घ. वृद्धि > 75% लक्ष्य से अधिक है (उपयोग नहीं किए गए क्षेत्रों के लिए लक्ष्य से 60% अधिक) -10 अंक	10
10	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) के तहत दिनांक 31.03.2026 तक रिक्त पद को भरना क. 31 मार्च 2026 तक रिक्त सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए विज्ञापनों का प्रकाशन ख. भरे गए आईएसएस के लिए दिनांक 31 मार्च, 2026 तक रिक्त पदों का न्यूनतम ≥ 50%	5 5
11	लक्षित आबादी का पशुधन बीमा जिसका बीमा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान किया जाना है। क. बीमा कंपनी का चयन - 5 अंक ख. वर्ष 2026-27 के लिए बीमा लक्ष्य प्राप्त करना। • लक्ष्य का <25% : 0 अंक • लक्ष्य का 25%-50%: 3 अंक • लक्ष्य का > 50%: 5 अंक	5 5
12	1 अप्रैल, 2026 से लक्षित कुत्तों की आबादी की नसबंदी और टीकाकरण (एनडीएलएम पोर्टल पर अपलोड किया गया)	

	स्कोरिंग मीट्रिक: • लक्ष्य का < 70%: - 0 अंक • लक्ष्य का 70% से 80% - 5 अंक • लक्ष्य का > 90% - 10 अंक	10
कुल		**170**

vii. प्रोत्साहन की गणना

योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यनिष्पादन मानदंड के तहत प्राप्त अंकों के % के आधार पर प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।:

क्रम संख्या	**कार्यनिष्पादन मानदंड में प्राप्त स्कोर**	**निर्धारित राशि के % के रूप में प्रोत्साहन**
1	50% से कम	0
2	50% से 75%	50%
3	75% से अधिक	100 %

viii. प्रस्तुतीकरण और सत्यापन

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सुधारों के पूरा होने पर, दिनांक 30.11.2026 तक पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
डीएएचडी प्रस्तुतीकरणों की जांच करेगा और उसके बाद, दिनांक 31.12.2026 तक प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) को सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

ix. परिचालन दिशानिर्देश

डीएएचडी, यदि आवश्यक हो, तो दिनांक 30.04.2026 तक इस भाग के लिए विस्तृत परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

18. भाग-IX (वित्तीय प्रबंधन में दक्षता के लिए राज्यों को प्रोत्साहन)

i. उद्देश्य

एसएनए स्पर्श केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधि की 'जस्ट-इन-टाइम' रिलीज के लिए एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सीएसएस निधि के केंद्र और राज्य दोनों हिस्सों के फ्लोट को समाप्त करना है। इस भाग का उद्देश्य सीएसएस निधि जारी करने के लिए एसएनए स्पर्श के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है।

ii. परिव्यय

इस भाग के तहत 5,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 450 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा, जो नीचे निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों और लक्ष्यों को पूरा करने के अधीन है, और बशर्ते कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यहां निर्धारित अयोग्यता मानदंडों के तहत अयोग्य न हो।
प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

iii. योग्यता मानदंड

प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा:

क. **एसएनए स्पर्श पर सीएसएस का पंजीकरण**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण का अर्थ यह होगा कि संबंधित सीएसएस की प्रत्येक राज्य लिंक्ड योजना (एसएलएस) के तहत कम से कम एक भुगतान किया गया है।

ख. **आधार-आधारित डीबीटी कार्यान्वयन**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने डीबीटी घटक वाली सभी योजनाओं के तहत आरबीआई और एनपीसीआई के साथ आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का संचालन किया होगा और स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया होगा, जिसमें आधार-आधारित डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक एसएलएस के तहत कम से कम एक भुगतान किया जाएगा।

ग. **राज्य साइबर कोष और ई-क्लेम/ई-वाउचर सिस्टम**

व्यय विभाग के दिनांक 13.07.2023 के दिशानिर्देशों के पैरा 3 (xi) के अनुपालन में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने अपने आईएफएमआईएस के भीतर एक राज्य साइबर कोष और ई-क्लेम/ई-वाउचर मॉड्यूल विकसित किया होगा ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक दावे उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जा सके। साइबर कोष में सीएसएस से संबंधित भुगतानों के लिए एसएलएस-वार बिलों के स्वत: समेकन के लिए एक कार्यक्षमता होनी चाहिए।

घ. **अव्ययित शेष राशि की वापसी**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी सीएसएस के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि के केंद्रीय हिस्से को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा करना होगा।

ङ. **ट्रेजरी फ्लोट का उन्मूलन**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सीएसएस के लिए ट्रेजरी फ्लोट को

घटाकर शून्य कर दिया जाए, अर्थात, राज्य के कोष में पड़े सीएसएस का पूरा केंद्रीय हिस्सा या तो एसएनए खाते में अंतरित कर दिया जाए या सीएफआई को वापस कर दिया जाए।

च. **एसएनए खातों से ब्याज जमा करना**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने एसएनए खातों में अर्जित ब्याज के केंद्रीय हिस्से को सीएफआई में जमा करना होगा।

छ. **विलंबित अंतरण पर ब्याज**

इस मामले में व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने राज्य के कोषागार से एसएनए खातों में केंद्रीय हिस्से के अंतरण में देरी के कारण होने वाली पूरी ब्याज राशि जमा करनी होगी।

ज. **ई-बिल सुविधा**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोषागार में स्याही द्वारा हस्ताक्षरित बिलों के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, प्रासंगिक नियमों/विनियमों में संशोधन करेगा।

iv. अयोग्यता मानदंड

कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस भाग के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही वह निम्नलिखित मामलों में योग्यता और कार्यनिष्पादन मानदंडों को पूरा करता हो:

क. यदि आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा पीएफएमएस में उनकी प्राप्ति के लिए बिलों को अग्रेषित करने में लिया गया औसत समय 7 दिनों से अधिक है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएफएमएस के साथ राज्य के कोष का उचित एकीकरण सुनिश्चित करेगा और कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए पीएफएमएस के साथ नियमित रूप से डेटा का आदान-प्रदान करेगा। इस उद्देश्य के लिए 1 अप्रैल 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक के प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा।

ख. यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी वित्त आयोग अनुदान के सभी घटकों के लिए राज्य के कोषागार से पीएफएमएस को डेटा साझा नहीं कर रहा है।

v. प्रस्तुतीकरण और सत्यापन

सुधारों के पूरा होने पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 31.12.2026 तक महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के पीएफएमएस प्रभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पीएफएमएस प्रभाग प्रस्तुतीकरण की जांच करेगा और उसके बाद दिनांक 15.01.2027 तक प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) को सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

vi. परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का कार्यालय, यदि आवश्यक हो, तो दिनांक 30.04.2026 तक इस भाग के लिए विस्तृत परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

19. भाग-X (प्राइड ऑफ हिल्स: एसएएससीआई के तहत पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता)

i. उद्देश्य

भारत के पहाड़ी राज्यों को दुर्गम इलाके, दुर्गमता, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित राजस्व सृजन क्षमता से उत्पन्न होने वाली अद्वितीय वित्तीय और विकासात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, ये राज्य भारत सरकार से वित्तीय सहायता पर अधिक निर्भर हैं।
पहाड़ी राज्य प्रायः कमजोर राजकोषीय संकेतक दर्शातें हैं, जिसमें उच्च ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात, अपेक्षाकृत कम स्वयं कर राजस्व (ओटीआर) आधार और केंद्रीय अंतरण पर उच्च निर्भरता शामिल है। पहाड़ी राज्यों के विकास में तेजी लाने के लिए, प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। तदनुसार, इस भाग के तहत पहाड़ी राज्यों को एसएएससीआई 2026-27 के अन्य भागों के तहत उनके आवंटन के अलावा एक अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है।

ii. परिव्यय

इस भाग के तहत 25,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। परिव्यय का राज्य-वार वितरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

	राज्य	**आवंटन**
1	अरुणाचल प्रदेश	4900
2	हिमाचल प्रदेश	3920
3	मणिपुर	2400
4	मेघालय	2070
5	मिजोरम	100
6	नागालैंड	3880
7	सिक्किम	820
8	त्रिपुरा	3450
9	उत्तराखंड	3460
कुल		**25000**

iii. निधियों का अनुमेय उपयोग

इस भाग के अंतर्गत आबंटित निधियों का उपयोग राज्यों द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है:

क. ऋणों का पुनर्भुगतान

भारत सरकार, बैंकों और अन्य एजेंसियों से लिए गए ऋणों की मूल राशि का पुनर्भुगतान, जिसमें बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए ऋण भी शामिल हैं। इस भाग के तहत जारी की गई धनराशि भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा जारी 2026-27 के लिए ऋण दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित राज्य की सकल ऋण सीमा को प्रभावित नहीं करेगी।

ख. **परियोजनाओं और योजनाओं का राज्य हिस्सा**

(ख) सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) में राज्य के हिस्से और रेलवे, राजमार्ग आदि जैसी केन्द्रीय एजेंसियों की अवसंरचना परियोजनाओं के राज्य के हिस्से को पूरा करना।

के आसपास। **बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए** समकक्ष वित्तपोषण।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) में विनिदष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आवश्यक राजस्व व्यय को पूरा करना।

iv. Release of Funds

इस भाग के तहत निधियां **दो किस्तों में जारी की जाएंगी**।

- पहली किस्त, जो अनुमोदित आवंटन का 66% है, इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करने और राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण पर जारी की जाएगी।
- दूसरी किस्त, जो स्वीकृत आवंटन का 34 % है, पहली किस्त में जारी की गई धनराशि के कम से कम 75 % के उपयोग पर जारी की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएफएमएस के माध्यम से जीएफआर, 2017 के फॉर्म 12-बी में एक उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वित्त विभाग में वरिष्ठतम सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव) द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के लिए अनधिकृत सूचना पत्र पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत हस्ताक्षरित और स्कैन किया जाएगा।

20. भाग-XI (राजकोषीय अनुशासन और राजकोषीय समेकन)

i. उद्देश्य

इस भाग का उद्देश्य राज्यों को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने, ठोस ऋण प्रबंधन को बढ़ावा

देने, विवेकपूर्ण ऋण पद्धतियों को अपनाने, राजकोषीय जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने और राजकोषीय रिपोर्टिंग में पारदशता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

ii. परिव्यय

इस भाग के तहत 3,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केवल 2026-27 के दौरान किए गए सुधारों पर विचार किया जाएगा।

iii. राज्यों का समूहीकरण

इस भाग के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

श्रेणी	**A**	**B**	**C**	**D**
निर्धारित राशि (करोड़ रुपये में)	**250**	**200**	**150**	**100**
राज्य	1. महाराष्ट्र 2. गुजरात 3. तमिलनाडु 4. कर्नाटक 5. उत्तर प्रदेश 6. पश्चिम बंगाल 1. राजस्थान	1. आंध्र प्रदेश 2. तेलंगाना 3. मध्य प्रदेश 4. केरल 5. हरियाणा 6. ओडिशा 7. पंजाब 8. बिहार	1. असम 2. छत्तीसगढ़ 3. झारखंड 4. निकासी 5. हिमाचल प्रदेश6. गोवा 7. त्रिपुरा	1. मेघालय 2. सिक्किम 3. मणिपुर 4. मिजोरम 5. नागालैंड 6. अरुणाचल प्रदेश

iv. **मूल्यांकन मानदंड**

राजकोषीय और ऋण समेकन सुधार किए जाएंगे और प्रोत्साहन अर्जित करने के लिए मूल्यांकन मानदंड इस प्रकार हैं:

सुधार क्षेत्र	**संकेतक**	**Marks**	**स्कोरिंग पद्धति**
ऋण प्रबंधन	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) के लिए बेंचमार्क जारी करने की कार्य को अपनाना	25	बेंचमार्क परिपक्वता बकेट के माध्यम से ≥70% उधार लेने के लिए पूर्ण अंक 50% से 70% के लिए आनुपातिक अंक 50% से कम के लिए कोई अंक नहीं
	स्विच/बायबैक संचालन का	15	अगले 3 वर्षों के भीतर परिपक्व होने

	संचालन		वाले ऋण के ≥5% के लिए पूर्ण अंक स्विच/वापस खरीदे गए
	मध्य अवधि ऋण कार्यनीति (एमटीडीएस) तैयार करना।	10	आरबीआई के परामर्श से तैयार एमटीडीएस दस्तावेज 15/12/2026 प्रकाशित किया गया। एमटीडीएस को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
ऋण अनुशासन	सांकेतिक ऋण कैलेंडर का पालन	20	वर्ष 2026-27 के पहले नौ महीनों के दौरान उधार लेने के लिए सहमति के अनुरोध के साथ प्रस्तुत तिमाही ऋण कैलेंडर से ऊपरी पक्ष विचलन ≤10 %। पहली, दूसरी और तीसरी में लिए ओएमबी की तुलना सांकेतिक सांकेतिक कैलेंडर से की जाएगी
	चौथी तिमाही में ऋण केंद्रीकरण में कमी	10	चौथी तिमाही में वार्षिक ऋण का ≤30 % ऋण लेना जनवरी 2027 की शुरुआत में Q4 के लिए राज्य द्वारा अंडरटेकिंग दी जाएगी।
राजकोषीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता	निम्नलिखित प्रमुख संकेतकों का मासिक प्रकटीकरण और सीएजी वेबसाइट पर प्रकाशन: • कुल देनदारियां • जुटाया गया ऋण • सार्वजनिक खाते से ऋण • गारंटी का विवरण • बजटेतर जुटाए गए ऋण का विवरण • क्षेत्रवार सब्सिडी भुगतान	20	सभी मासिक रिपोर्ट में सभी संकेतकों के प्रकाशन के लिए पूर्ण अंक। प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए आनुपातिक अंक मूल्यांकन के लिए सीएजी की वेबसाइट पर प्रकाशित मासिक प्रमुख संकेतकों पर विचार किया जाएगा

v. पात्रता सीमा

इस भाग के तहत प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक राज्य सरकार मूल्यांकन ढांचे के तहत निर्धारित अंकों का न्यूनतम 60% प्राप्त करेगी। प्रोत्साहन की राशि प्राप्त अंकों के अनुपात में होगी।

vi. प्रस्तुतीकरण और सत्यापन

सुधारों के पूरा होने पर, राज्य सरकारें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग (आईडीएमडी) और व्यय विभाग के सार्वजनिक वित्त (राज्य) प्रभाग को 15.01.2027 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
आईडीएमडी, आरबीआई प्रस्तुतीकरणों की जांच करेगा और 31.01.2027 तक व्यय विभाग (डीओई) को प्रोत्साहन के लिए राज्यों की पात्रता पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करेगा।

21. भाग-XII [संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) क्षेत्र में सुधार]
उद्देश्य

इस भाग का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समयबद्ध सुधार करने और संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) पारिस्थितिकी तंत्र के त्वरित विकास के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संकेंद्रण क्षेत्रों में तेजी से परियोजना चालू करना और सीबीजी संयंत्रों का बेहतर उपयोग, फीडस्टॉक सिस्टम और अपशिष्ट-से-ऊर्जा अभिसरण को मजबूत करना; बाजार पहुंच, निकासी तत्परता और उठाव समर्थन को बढ़ाना; तथा राज्य स्तर पर निवेशक-तैयार करना, निष्पादन-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

परिव्यय

इस भाग के तहत 3,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है और पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
परिव्यय को तीन घटकों में निम्नानुसार वितरित किया जाता है:

- **घटक I:** राज्य सीबीजी नीति संरेखण - 1,300 करोड़ रुपये
- **घटक II:** राज्य सीबीजी तैयारी सूचकांक (एससीआरआई) - 500 करोड़ रुपये
- **घटक III:** राज्य सीबीजी राजकोषीय सह-वित्तपोषण योजना - 1,200 करोड़ रुपये

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समूह

घटक I और II के तहत प्रोत्साहन के उद्देश्य से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
श्रेणी A: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा

श्रेणी बी: असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली

श्रेणी C: मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, मिजोरम

घटक I: राज्य सीबीजी नीति संरेखण

इस घटक का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा जारी ढांचे के साथ एक राज्य सीबीजी नीति को अपनाने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा राज्य सीबीजी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधार उपाय करना है।

इस घटक के तहत किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्वीकार्य प्रोत्साहन निम्नलिखित सीमा के अधीन होगा:

- **श्रेणी ए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:** 100 करोड़ रुपये तक
- **श्रेणी बी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:** 50 करोड़ रुपये तक
- **श्रेणी सी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:** 30 करोड़ रुपये तक

घटक-I के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित को कार्यान्वित करेगा:

- सभी मूलभूत शासन सुधार
- 8 में से कम से कम 3 राजकोषीय सहायता उपाय
- 4 में से कम से कम 1 इकोसिस्टम को सक्षम बनाने वाले सुधार

मूलभूत शासन सुधार

राज्य, एक राज्य सीबीजी नीति कार्यान्वित करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रमुख खंड शामिल होंगे:

1. शासन तंत्र

- **राज्य नोडल एजेंसी:** राज्य सरकार सीबीजी परियोजनाओं के प्रचार, सुविधा, निगरानी और समन्वय के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी को प्रमुख प्राधिकरण के रूप में नामित करेगी।
- **जिला-स्तरीय समितियां (डीएलसी):** प्रत्येक जिला, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक डीएलसी का गठन करेगा।

ii. सिंगल विंडो पोर्टल (एसडब्ल्यूपी)

सीबीजी परियोजनाओं को एक परिचालन सिंगल विंडो पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा, जो प्रदान करेगा:

- ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और आवेदनों की ट्रैकिंग
- अनुमोदन के लिए निर्धारित समय-सीमा
- देरी के लिए ऑटो-एस्केलेशन तंत्र
- अधिसूचित समय-सीमा से परे डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान (वैधानिक मंजूरी को छोड़कर)

iii. समयबद्ध अनुमोदन ढांचा

नीति निम्नलिखित के लिए निर्धारित समय-सीमा निर्धारित करेगी:

- **भूमि आवंटन:** भरा आवेदन के प्रस्तुतीकरण के 6 महीने के भीतर

- **उपयोगिता अनुमोदन (बिजली/पानी):** 30 दिनों के भीतर निर्णय, 60 दिनों के बाद अनुमोदन के साथ

iv. एकीकृत फीड-स्टॉक योजना ढांचा

फीड-स्टॉक सुरक्षा सुनिश्चित करने और बायोमास उपलब्धता के सापेक्ष अत्यधिक क्षमता आवंटन को रोकने के लिए:

- जिलेवार बायोमास मूल्यांकन किया जाएगा और समय-समय पर अपडेट किया जाएगा
- प्रत्येक सीबीजी संयंत्र को बायोमास उपलब्धता के आधार पर एक परिभाषित जलग्रहण क्षेत्र दिया जाएगा
- नई परियोजनाओं के पंजीकरण को मूल्यांकन अधिशेष बायोमास के साथ जोड़ा जाएगा
- यूएलबी, मंडियों, गौशालाओं, चीनी मिलों और एफपीओ के साथ दीर्घकालिक फीडस्टॉक लिंकेज की सुविधा प्रदान की जाएगी

v. संरचित एफओएम/एलएफओएम बाजार विकास

जैव-खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए:

- एफओएम/एलएफओएम को उर्वरक वितरण चैनलों के साथ एकीकृत किया जाएगा
- कृषि विभाग विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से इसके उपयोग को बढ़ावा देगा
- सार्वजनिक खरीद और मृदा स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से संस्थागत मांग को प्रोत्साहित किया जाएगा

vi. निगरानी और शिकायत निवारण

- परियोजनाएं समय-समय पर उत्पादन और फीडस्टॉक डेटा की रिपोर्ट करेंगी
- एक दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (जिला और राज्य स्तर) स्थापित किया जाएगा

राजकोषीय सहायता उपाय

#	सुधार पैरामीटर	सुधार का संक्षिप्त विवरण
1	भूमि पट्टा का समर्थन	रियायती दर पर भूमि का प्रावधान, स्टांप शुल्क में छूट, पंजीकरण शुल्क, भूमि परिवर्तन शुल्क और अन्य लागू शुल्क।
2	फीडस्टॉक एकत्रीकरण समर्थन	कृषि-अपशिष्ट आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी के लिए वित्तीय सहायता या सब्सिडी।
3	प्लांट कैपेक्स सपोर्ट	संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान
4	जैव - खाद उपयोग सहायता	सीबीजी संयंत्रों द्वारा उत्पादित उपोत्पाद के उपयोग के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहायता का प्रावधान

5	विद्युत प्रभार टैरिफ समर्थन	सीबीजी संयंत्रों के लिए विद्युत शुल्क में छूट या प्रभार प्रतिपूर्ति।
6	कर और ब्याज सहायता	सीबीजी परियोजनाओं को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और सावधि ऋणों पर ब्याज में छूट देना।
7	जनशक्ति सहायता	सीबीजी संयंत्र संचालन में कार्यरत कर्मियों के लिए वेतन सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति या कौशल विकास सहायता।
8	अवसंरचना के विकास में सहायता का समर्थन करना	सहायक अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता जैसे कि पहुंच सड़कों, बिजली/जल आपूर्ति प्रणाली, गैस पाइपलाइन, जल निकासी/सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली।

इकोसिस्टम सक्षमकर्ता

#	सुधार पैरामीटर	सुधार का संक्षिप्त विवरण
1	अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना	सीबीजी प्रक्रिया अनुकूलन और मूल्य वर्धित एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और अनुसंधान निकायों के साथ संस्थागत संबंध का सृजन।
2	तकनीकी क्षमता सुदृढ़ीकरण	फीडस्टॉक सिस्टम, पृथक्करण/संग्रह प्रोटोकॉल और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं पर जिला अधिकारियों, यूएलबी और एफपीओ/एग्रीगेटर्स के लिए राज्य नोडल एजेंसी के नेतृत्व में एसओपी/फील्ड प्रशिक्षण जारी करना।
3	परिवहन क्षेत्र में मांग सृजन	राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा खरीद के माध्यम से सीबीजी की मांग को संस्थागत बनाना और सुविधाजनक नियामक और राजकोषीय हस्तक्षेपों के माध्यम से सीएनजी वाहन अपनाने को बढ़ावा देना।
4	सीजीडी-आधारित ऑफटेक एकीकरण	राज्य के सीजीडी ढांचे के भीतर सीबीजी निकासी प्रावधानों का एकीकरण, जिसमें पाइपलाइन कनेक्टिविटी की सुविधा, समयबद्ध अनुमोदन और सीबीजी के सुनिश्चित उठाव को सक्षम बनाने के लिए मानकीकृत उपयोग का अधिकार (आरओयू) तंत्र शामिल है।

घटक II: राज्य सीबीजी तत्परता सूचकांक (एससीआरआई)

क. राज्य सीबीजी तत्परता सूचकांक (एससीआरआई) के तहत प्रदर्शन के आधार पर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इस घटक के तहत 500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए उनकी संबंधित श्रेणियों में स्थान दिया जाएगा। वार्षिक एससीआरआई स्कोर के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन रैंक वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित सीमाओं के अधीन प्रोत्साहन के पात्र होंगे:

- **श्रेणी A:** Rs. 75 करोड़
- **श्रेणी बी:** रु. 55 करोड़

- **श्रेणी C:** Rs. 35 करोड़

घटक III: राज्य सीबीजी राजकोषीय सह-वित्तपोषण योजना

पूंजीगत व्यय और इकोसिस्टम निवेश के सह-वित्तपोषण के माध्यम से सीबीजी क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस घटक के तहत 1,200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य सीबीजी संयंत्रों की स्थापना करने और उसे शुरु करने संबंधी कार्यों में गतिशीलता लाना है।

इस घटक के तहत पात्र प्रोत्साहन प्रति टन प्रति दिन (टीपीडी) के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सीबीजी उत्पादक को दी गई वित्तीय सहायता के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) से जोड़ा जाएगा।
प्रति टीपीडी प्रोत्साहन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- जहां प्रति टीपीडी राज्य सहायता का एनपीवी 0.60 करोड़ रुपये से कम है, वहां कोई केंद्रीय प्रोत्साहन स्वीकार्य नहीं होगा।
- जहां प्रति टीपीडी राज्य सहायता का एनपीवी 0.60 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, केंद्रीय प्रोत्साहन प्रति टीपीडी राज्य समर्थन के एनपीवी का 30% होगा।

प्रोत्साहन प्रति टीपीडी 0.75 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन होगा। तदनुसार, अधिकतम स्वीकार्य केंद्रीय प्रोत्साहन उन क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा जहां राज्य सहायता का एनपीवी प्रति टीपीडी 2.50 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक हो।

इस घटक के तहत आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि:

- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उपर्युक्त रूप से यथा विनिर्दिष्ट प्रति लक्षित बजट प्रति न्यूनतम राजकोषीय सहायता प्रदान कर रहे हैं; तथा
- घटक-I के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली राज्य सीबीजी नीति वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास विधिवत अधिसूचित और परिचालित राज्य सीबीजी नीति है।

प्रस्तुतीकरण और सत्यापन

सुधारों के पूरा होने पर, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 15.12.2026 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को एक रिपोर्ट और प्रोत्साहन के लिए दावा प्रस्तुत करेंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्रस्तुतीकरणों की जांच करेगा और उसके बाद 31.12.2026 तक प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) को सिफारिशें करेगा।

परिचालन दिशानिर्देश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, तो 30.04.2026 **तक इस भाग के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी कर सकता** है।

22. एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) फ्रेमवर्क

भाग-X (पर्वतों का गौरव) को छोड़कर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसएएससीआई 2026-27 के सभी भागों के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (SNA) या प्रत्येक भाग के लिए एक SNA नामित करेंगे। एसएनए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता खोलेगा। भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एसएनए को अधिमानतः 10 कार्य दिवसों से और 30 दिनों के भीतर हस्तांतरित की जाएगी।
एसएनए से नीचे की कार्यान्वयन एजेंसियां या तो एसएनए बैंक खाते के माध्यम से काम करेंगी या उसी बैंक में शून्य शेष सहायक खाते (जेडबीएसए) खोलेंगी, जो एसएनए खाते से जुड़ा हुआ है। सभी एसएनए और जेडबीएसए को पीएफएमएस पर शामिल किया जाएगा।
30 दिनों से अधिक की कोई भी देरी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भारत सरकार को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाएगा, जिसकी गणना पिछले वर्ष के लिए खुले बाजार उधारों (10-वर्षीय जी-सेक) पर ब्याज की भारित औसत दर पर की जाती है।
एसएनए खाते में अर्जित ब्याज भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

23. अन्य शर्तें

i. एसएएससीआई 2026-27 के तहत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा नई और चल रही दोनों पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। इन निधियों का उपयोग चालू पूंजीगत परियोजनाओं में लंबित बिलों के निपटान के लिए भी किया जा सकता है।

ii. एसएएससीआई के सभी भागों के तहत प्रोत्साहन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा।

iii. एक परियोजना के लिए परिवतीय एसएएससीआई के तहत मांगी गई विशेष सहायता 5 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी (पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों और जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपये)। नियमित मरम्मत और रखरखाव कार्य, पूंजीगत परिव्यय के बावजूद, इनमें शामिल नहीं होंगे।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभी भागों के तहत एक साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक भाग के लिए प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

v. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, यदि वे चाहें, तो आवंटित निधियों से अधिक मूल्य की परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें उनकी प्राथमिकता के क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

vi. भारत सरकार किसी भी परियोजना को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

vii. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उचित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं किए गए आवंटनों को भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फिर से आवंटित किया जा सकता है।

viii. एसएएससीआई 2026-27 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में अपरिहार्य परिवर्तन के मामले में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेगा। अस्वीकृत परिवर्तनों के लिए धनराशि जारी नहीं की जाएगी और यदि पहले ही जारी कर दी गई है, तो बाद की किस्तों या कर अंतरण के माध्यम से वसूल की जा सकती है।

ix. जिन उद्देश्यों के लिए धन स्वीकृत किया गया था, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किए गए व्यय के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा बाद की अवधि में राज्य को देय करों/शुल्कों के हस्तांतरण से वसूली की जाएगी। एसएएससीआई के तहत प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण को अपात्र व्यय के मामले में इस तरह की वसूली के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सहमति के रूप में माना जाएगा।

x. परियोजनाओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विभागों, या सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों या उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

xi. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सरकार या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई धनराशि के साथ एसएएससीआई के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का दोहराव न हो। इसके अलावा, एसएएससीआई 2026-27 के विभिन्न भागों में परियोजनाओं के दोहराव की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं या स्रोतों से आंशिक वित्त पोषण को दोहराव के रूप में नहीं माना जाएगा।

xii. एसएएससीआई 2026-27 के तहत जारी धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक पात्र व्यय पर किया जाएगा, जब तक कि संबंधित भाग में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए, अंतिम लाभार्थियों को वास्तविक भुगतान किए बिना मध्यवर्ती खातों में धन जमा करने को व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा।

xiii. किसी भी घटक के तहत पात्रता के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

xiv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसएएससीआई के तहत परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए नीति आयोग या भारत सरकार द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

24. ये दिशा-निर्देश जारी किए जाने पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

यह माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी है।

(प्रतीक कुमार सिंह)
निदेशक, (पीएफ-राज्य)
फोन: 011 24012050

अनुबंध I

राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता 2026-27 के भाग I के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन

क्र.सं.	राज्य	16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का अंतर-भाग (% में)	भाग I तहत आवंटन (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	4.217	2825
2	अरुणाचल प्रदेश	1.354	907
3	असम	3.258	2183
4	बिहार	9.948	6665
5	छत्तीसगढ़	3.304	2214
6	गोवा	0.365	245
7	गुजरात	3.755	2516
8	हरियाणा	1.361	912
9	हिमाचल प्रदेश	0.914	612
10	झारखंड	3.357	2249
11	कर्नाटक	4.131	2768
12	केरल	2.382	1596
13	मध्य प्रदेश	7.347	4922
14	महाराष्ट्र	6.441	4315
15	मणिपुर	0.626	419
16	मेघालय	0.631	423
17	मिजोरम	0.564	378
18	नागालैंड	0.481	322
19	ओडिशा	4.42	2961
20	पंजाब	1.996	1337
21	राजस्थान	5.926	3970
22	सिक्किम	0.335	225
23	तमिलनाडु	4.097	2745
24	तेलंगाना	2.174	1457
25	त्रिपुरा	0.641	430
26	उत्तर प्रदेश	17.619	11805
27	उत्तराखंड	1.141	765
28	पश्चिम बंगाल	7.215	4834
29	दिल्ली	उपलब्ध नहीं	1647
30	जम्मू एवं कश्मीर	उपलब्ध नहीं	1231
31	पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं	122
कुल			**70000**